अध्याय 30

छ.ग. यात्रा भत्ता नियम

ए. जी. आई. 1- यात्रा भत्ते के दावों का पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है- जब तक यह स्पष्ट न हो कि कार्य में वास्तविक परिवर्तन हुआ है, तब तक उन प्रकरणों में यहां किसी शासकीय कर्मचारी को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति, पदावनति अथवा बढ़ी हुई दर से वेतन स्वीकृत किया गया हो तो पदोन्नति, पदावनति अथवा बढ़े हुए वेतन की दर से बीच बढ़ी हुई दर से के बीच पड़ने वाली अवधि की तिथि से और जब ऐसा अधिसूचित किया गया हो, यात्रा भत्ता के दावों का पुनरीक्षण नहीं किया जावेगा।

यात्रा भत्ता लाभ का साधन न हो- किसी शासकीय कर्मचारी को उनके द्वारा लोकहित में की गई यात्रा पर किये गये वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिये ही यात्रा भत्ता दिया जाता है। यह एक मूल सिद्धांत है कि यह भत्ता आय का साधन न बने और इन नियमों में मुख्यतः उपबन्धित के सिवाय ड्यूटी पर यात्रा करते हुये अधिकारियों द्वारा उनके साथ चल रहे परिवार के सदस्यों पर हुये व्यय की पूर्ति के लिये कोई यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाता है।

[पू.नि. 3]

खण्ड 1. पदों का वर्गीकरण

पूरक नियम 4. शासकीय सेवकों का वर्गीकरण- यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की गणना के लिए, शासकीय सेवकों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

राज्य शासन के आदेश

यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है-

ग्रेड ए रु. 10,000 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

ग्रेड बी रु. 7,600 या इससे अधिक किन्तु 10,000 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

ग्रेड सी रु. 4,400 या इससे अधिक किन्तु 7,600 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

ग्रेड डी रु. 2,400 या इससे अधिक किन्तु 4,400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

ग्रेड ई रु. 2,400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

[यह आदेश छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1.3.2011 से जारी किये गये तथा दिनांक 1.3.2011 से लागू।]

विषय- न्यायिक सेवा के अधिकारियों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों की पुनरीक्षण।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.03.2010.

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के वेतन संरचना में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की संगणना के प्रयोजनार्थ सासकीय सेवकों का श्रेणीकरण एवं यात्रा भत्ता की दरें निर्धारित की गयी हैं। निम्न एवं उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित पद्मनाभन समिति की अनुशंसानुसार छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण नियम 2010) लागू किया गया है जिसके अंतर्गत इन सेवाओं के अधिकारियों के लिए मास्टर पे स्केल 27700-770-33090-920-40450-1080-49090- 1230-5893--1380-67210-1540-76450 स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार यात्रा भत्ता अर्थात् दैनिक भत्ते की संगणना के प्रयोजनार्थ श्रेणीकरण हेतु निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है-

श्रेणी ए- 57700 या इससे अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी।

श्रेणी बी- 39530 या इससे अधिक किन्तु 57700 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी।

श्रेणी सी- 27700 या इससे अधिक किन्तु 39530 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी।

3. न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-

1. 70290-1540-76450 वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश (सुपर वेतनमान) देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
2. 43690-1080-49090-1230-56470 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी देश के अंदर एकोनॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे।
3. 33090-920-40450-1080-45850 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकानॉमी क्लास में यात्रा के पात्र होंगे।

4. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की अन्य दरें संदर्भित ज्ञापन के अनुसार होंगी।

5. ये दरें दिनांक 1 मार्च, 2011 या इसके पश्चात् की गयी यात्रा हेतु लागू होंगी।

[वित्त विभाग क्र. 277/सी-1000443/वित्त/नियम/चार/दिनांक 30.8.2011]

विषय- **प्रदेश के मंडल/आयोग/निगमों के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में दैनिक भत्ता।**

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 177/362/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 19.08.2008

संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त ज्ञापन के अंतर्गत ऐसे निगम/मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त ज्ञापन के अंतर्गत ऐसे निगम/मंडल/आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य जो ज्ञापन की परिशिष्ट में दर्शाये गये सुविधाओं की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें मंडल/आयोग/निगम इत्यादि के बैठकों में भाग लेने हेतु वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर अपने गृह नगर से बैठक स्थल तक आने-जाने के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 दिनांक 1.3.2011 में निर्धारित शासकीय सेवकों के श्रेणीकरण के अंतर्गत 'श्रेणी बी' के शासकीय अधिकारियों के समकक्ष यात्रा भत्ता एवं बैठक की तिथि के लिए यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत देय दैनिक भत्ता के स्थान पर 750 रु. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

ज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 328/सी-26428/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 7.10.2011]

- - - - - -

स्थानान्तर काल में शासकीय कर्मचारियों को किस प्रकार वर्गीकरण का किया जाए- एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तर काल में किसी शासकीय कर्मचारी को दोनों में से निम्न पद के अनुसार पात्रता होगी। [पू.नि. 5]

सामान्य नियम- विभिन्न प्रकार के यात्रा भत्ते जिनका विभिन्न परिस्थितियों में शासकीय कर्मचारियों द्वारा आहरण किया जाता है, निम्नानुसार है-

(क) स्थायी यात्रा भत्ता।

(ख) वाहन या अश्व भत्ता।

(ग) माइलेज भत्ता।

(घ) दैनिक भत्ता।

(ङ) यात्रा का वास्तविक व्यय।

[पू.नि. 7]

(क) स्थायी यात्रा भत्ता

स्वीकृति की शर्तें- स्थायी यात्रा-भत्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे अपने कर्तव्यों के पालन में गहन यात्रा करनी पड़ती है। यह भत्ता ासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत की गई यात्रा हेतु अन्य यात्रा-भत्तों के बदले में

स्वीकृत किया जाता है और इसका आहरण साल भर तक चलता रहता है, चाहे शासकीय सेवक मुख्यालय से अनुपस्थित रहे अथवा न रहे। [पू.नि. 8]

राज्य शासन आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 57/1220/वि/नियम/03, दिनांक 7.3.2008 द्वारा निम्न पदों को दिनांक 1.4.2008 से स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत है-

शासकीय कर्मचारी का प्रवर्ग	भत्ते की मासिक दर
राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य विभाग के हैण्डपम्प तकनीशियन।	रु. 350/-
जिलों एवं तहसीलों में पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य तथा जमादार, वन विभाग के चेनमेन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक विभाग के प्रोसेस सर्व्हर, राजस्व विभाग के चेनमेन तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी।	रु. 300/-

गहन यात्रा की जाना तभी माना जावेगा जब कोई शासकीय सेवक अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर गहन यात्रा करे तथा 12 माह के औसत के आधार पर उसने एक माह में 5 दैनिक भत्ते प्राप्त किये हों।

[छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 59/1464/नि-1/चार, दिनांक 7.4.1993]

\- - - - - -

(ख) वाहन भत्ता

स्वीकृति की शर्तें- एक सक्षम प्राधिकारी, उन शर्तों पर जैसा वह लागू करना उचित समझे, किसी शासकीय कर्मचारी को, जिसे अपने मुख्यालय पर या उससे थोड़ी दूर से अन्दर, उन प्रतिबन्धों के अधीन, जो उसे दैनिक भत्ते के लिये योग्य न ठहराते हों, विस्तृत यात्रा करनी पड़ती हो, मासिक वाहन या अश्व भत्ता स्वीकृत कर सकता है। [पू.नि. 12]

वाहन भत्ते की दरें-

201-300 कि. मी.	450/- प्र. मा.	150/-
301-450 कि.मी	575/- प्र. मा.	200/-
451-600 कि. मी.	725/- प्र. मा.	300/-
600- से अधिक	1,000/- प्र. मा.	300/-

स्वयं के मोटर कार से की गई यात्रा के लिये वाहन भत्ते की पात्रता श्रेणी 'A' के अधिकारियों को होगी।

ये दरें 1 अप्रैल 2003 से लागू की गई है।

3. वाहन भत्ते की स्वीकृति निम्न शर्तों से नियन्त्रित होगी-

(क) जब तक ड्यूटी पर मासिक भ्रमण का औसत 20 कि. मी. से अधिक न हो भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

निवास स्थान तथा कार्य के साधारण स्थान के बीच यात्राओं को सरकारी कर्त्तव्य पर यात्रा संगणित नहीं किया जावेगा।

(ख) इन आदेशों के अन्तर्गत पैदल या सायकल द्वारा की गई यात्राऐं भत्ते की स्वीकृति हेतु अर्ह नहीं होगी।

(4) कब आहरण किया जाए- इन नियमों में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो और जब स्वीकृति देने वाला अधिकारी निर्देशन दे वाहन या अश्व भत्ता पूरे वर्ष आहरित किया जा सकता है। मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर लुप्त नहीं किया जाता है और यह इन नियमों के अधीन स्वीकार्य अन्य किसी भी यात्रा भत्ते के अतिरिक्त निकाला जा सकता है परन्तु मोटरकार अथवा मोटर साइकिल रख-रखाव के लिये विशेषतः स्वीकृत भत्ता प्राप्त करने वाला कोई शासकीय कर्मचारी ऐसे किसी भी दिन के लिए वाहन भत्ता नहीं कर सकता जिसके लिए वह सड़क अथवा रेल द्वारा हेतु माइलेज अथवा मोटरकार या मोटर सायकिल द्वारा की गई यात्रा हेतु दैनिक भत्ता प्राप्त करता है।

(5) अवकाश एवं कार्य-ग्रहण काल में- आहरण किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण काल में वाहन अथवा अश्व भत्ता तभी निकाला जा सकता है जब वह एक पद से, जिस पर वह भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसी तरह के दूसरे पद पर स्थानांतरित किया गया हो, परन्तु-

(1) यदि भत्ते की दरें अलग-अलग है तो वह केवल दोनों दरों में से कम दर से प्राप्त करेगा।

(2) वाहन अथवा अश्य वास्तव में रखा गया हो।

अवकाश में इसका भुगतान मूलभूत नियम 44 के अन्तर्गत पूरक नियम 2 से शासित होगा।

[पू.नि. 14]

माइलेज अलाउन्स (मील भत्ता)

यात्रा की गई दूरी पर संगणित किये जाने वाले भत्ते को माइलेज अलाउन्स कहते हैं, जो किसी विशेष यात्रा के व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है।

(6) संगणना के सिद्धांत- (क) माइलेज भत्ते की संगणना के सिद्धांत के लिये दो स्थानों के मध्य दोनों में से सबसे कम दूरी या अधिक व्यावहारिक मार्ग या बराबर होने पर ऐसे सबसे सस्ते मार्ग द्वारा निष्पादित की गई यात्रा मानी जाती है। परन्तु जब वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध हो तथा समय व खर्च की दृष्टि से उनमें बड़ा अन्तर न हो तो माइलेज भत्ते की संगणना वास्तविक मार्ग, जिससे यात्रा की गई हो, के आधार पर की जानी चाहिए।

(ख) सबसे कम दूरी वाला मार्ग वह है जिससे यात्रा के सामान्य साधनों द्वारा यात्री गन्तव्य

स्थान पर तेज गति से पहुँच सके। शंका होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी ही यह निश्चित करेगा कि दो से अधिक मार्गों में किसे सबसे कम दूरी वाला मार्ग माना जाये।

टिप्पणी- रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच यात्रा का सामान्य साधन वह है जिसे यात्री आभ्यासिक प्रयोग में लाते हैं, अर्थात् रेलवे।

(ग) यदि कोई शासकीय कर्मचारी उस मार्ग से यात्रा करता है जो सबसे कम दूरी वाला नहीं है किन्तु वह कम दूरी वाले मार्ग की अपेक्षा सस्ता है, तो उसके माइलेज भत्ते की गणना वास्तविक रूप से प्रयोग लाये गये मार्ग के आधार पर की जानी चाहिए। [पू.नि. 15-16]

1.3.2011 से मील भत्ते की दरें- सड़क द्वारा की गई यात्राओं हेतु यात्रा के प्रत्येक किलोमीटर के लिए निम्न दरों के अनुसार मील भत्ता परिगणित किया जायेगा.-

[1]श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति किमी)	अभ्युक्ति
''ए'' एवं ''बी''	स्वयं की कार	10 रुपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा उसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो।
	टैक्सी (ए.सी. टैक्सी शामिल)	14 रुपये	2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़े हों तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
''सी''	स्वयं की कार	10 रुपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो।
	टैक्सी (नान एसी)	12 रुपये	2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़े हों तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर साइकिल	4 रुपये	-
	अन्य साधन	1 रुपये	-

1. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1.3. 2011 तथा आदेश दिनांक 1.3.2011 से लागू।

(7) यात्रा के प्रारम्भ एवं समाप्ति का बिन्दु- किसी भी स्टेशन का बिन्दु यात्रा का प्रारंभ या समाप्त हुई मानी जाती है वह मुख्य जन कार्यालय या इसके लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य बिन्दु होगा। किन्तु स्थानान्तर होने पर यात्रा सम्बन्धित शासकीय सेवक के वास्तविक आवास से प्रारंभ होगी और दूसरे कर्त्तव्य स्थल पर समाप्त मानी जावेगी।

[पू.नि. 18]

(8) विभिन्न प्रकार की यात्रा हेतु विभिन्न दरें- जैसा कि निम्नलिखित नियमों में दर्शाया गया है, वायु, रेल या सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं अथवा की गई यात्रा का माइलेज अलाउन्स भिन्न-भिन्न प्रकार से संगणित किया जाता है। [पू.नि. 19]

वायु, सड़क, रेल द्वारा यात्रा हेतु माइलेज अलाउन्स

राज्य शासन आदेश

हवाई यात्रा की पात्रता-

(अ) ऐसे समस्त अधिकारी जिन्हें एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त हो रहा है, देश के अंदर विमान के एक्जीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) ग्रेड वेतन रुपये 8,700/- या इससे अधिक है, देश के अंदर इकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(स) रु. 7,600/- या इससे अधिक किन्तु रु. 8,700/- से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1.3.2011 तथा दिनांक 1.3.2011 से लागू।]

क्लास के व्यवस्थापन की पात्रता निम्नानुसार होगी (रेल यात्रा हेतु) दिनांक

श्रेणी	राजधानी एक्सप्रेस	शताब्दी एक्सप्रेस	सामान्य
"ए"	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्जीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
"बी"	ए.सी. 2 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
"सी"	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी. चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
"डी"	-	-	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
"ई"	-	-	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं)

* छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1.3.2011 तथा आदेश दिनांक 1.3.2011 से लागू।

- - - -

विषय- शासकीय सेवकों की हवाई यात्रा की अनुमति।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक-

1. 53/सी-18029/वित्त/नियम/चार/200969 दिनांक 02 मार्च, 2009.
2. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार दिनांक 01.03.2011.

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों हेतु भारत के अंदर एवं भारत के बाहर हवाई यात्रा की पात्रता संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा यदि देश के अंदर या देश के बाहर माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक ही विमान से यात्रा की जाती है तो उन्हें विमान के उस श्रेणी से यात्रा की पात्रता होगी जिस श्रेणी से माननीय मुक्यंत्री जी द्वारा यात्रा की जा रही है।

यात्रा संबंधी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

[वित्त विभाग क्रमांक 189/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 13 जून, 2011]

सड़क द्वारा मील भत्ते की दरें-

*ग्रेड	पात्रता
ग्रेड 'ए', 'बी', 'सी'	वातानुकूलित बस
ग्रेड 'डी'	गैर वातानुकूलित डीलक्स तथा वीडियो कोच
ग्रेड 'ई' के शासकीय सेवक	फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर-एक्सप्रेस जैसी तेज गाड़ियों से यात्रा की पात्रता (गैर वातानुकूलित)

* छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1.3.2011 तथा आदेश दिनांक 1.3.2011 से लागू।

टिकट रद्द करने का व्यय- सक्षम अधिकारी शासकीय सेवक को यात्रा का आरक्षण रद्द कराने पर हुआ व्यय स्वीकृत करा सकता है।

वापसी टिकट- जब कभी वापसी टिकट उपलब्ध हो तो उसे खरीदा जाना चाहिये और इस तथ्य का यात्रा भत्ता देयक के कालम 9 में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

1. छ.ग. शासन वित्त विभाग क्र. एफ. 11-12/2012/नियम/चार/दिनांक 5.9.2012 द्वारा संशोधित एवं 1.8.2012 से लागू।

पू.नि. 25-ए. Deleted
पू.नि. 26. Deleted
पू.नि. 27. Deleted
पू.नि. 28. Deleted

किलोमीटर के अंश की गणना- सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं हेतु मील भत्ते की संगणना में यात्रा भत्ता देयक के योग में से किलोमीटर के अंश को छोड़ देना चाहिये, किन्तु जिन भिन्न-भिन्न मदों से देयक पूर्ण हुआ है उसमें से कम नहीं करना चाहिये। [पू.नि. 29]

टिप्पणी- प्रत्येक यात्रा भत्ता देयक में सम्पूर्ण यात्रा में किलोमीटर के अंश को जोड़ दिया जाना चाहिए, परन्तु अलग-अलग महीनों के अलग-अलग देयकों में दर्ज किलोमीटर के अंश को निरन्तर यात्रा होते हुए भी इस प्रकार नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

दैनिक भत्ता

कर्त्तव्य पर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के दौरान यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाने वाला यात्रा भत्ता निम्नानुसार होगा-

(क)

	मुख्यालय से अनुपस्थिति	देय दैनिक भत्ता
(i)	6 घण्टे से कम	कोई दैनिक भत्ता देय नहीं
(ii)	12 घण्टे से कम किन्तु 6 घण्टे से कम नहीं	आधार देनिक भत्ता
(iii)	24 घण्टे या इससे कम किन्तु 12 घण्टे से कम नहीं	पूर्ण दैनिक भत्ता।

(ख) यदि, कुल अनुपस्थिति 24 घंटे से अधिक है, तो प्रत्येक 24 घण्टे के ब्लाक को अलग से परिगणित किया जायेगा तथा प्रत्येक ब्लाक के दैनिक भत्ते की मात्रा का नियमन उपरोक्त तालिका के अनुसार किया जायेगा।

अपवाद- राज्य के बाहर विराम करने पर पूरक नियम 32(बी) में उल्लेखित दर परकम से कम आधा दैनिक भत्ता स्वीकार्य किया जाएगा, चाहे उस स्थान पर विराम 6 घण्टे से कम की अवधि का ही क्यों न हो। [पू.नि. 30]

दैनिक भत्ते (Daily Allowance Rates) 1.2.2012 और 1.1.2016 से लागू दरें

मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर राज्य के अन्दर यात्रा हेतु स्वीकार्य दैनिक भत्ते की दरें नीचे दिये अनुसार निर्धारित की गई हैं-

राज्य शासन छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर की श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं-

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार			आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)*		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	एक्स	वाय	जेड	एक्स	वाय/जेड	एक्स	वाय/जेड
ए	500	400	300	9000	4000	1000	500
बी	300	250	200	6000	3000	800	400
सी	200	150	125	2400	1500	400	250
डी	150	100	80	1200	1000	200	150
ई	100	80	60	1000	800	150	100

नोट-1. आवास और स्थानीय परिवहन की दरें 1.1.2016 से अथवा उसके बाद की यात्राओं के संबंध में पुनरीक्षित की गई है।

* [क्र. 424/एफ 2016-04-03194/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016]

नोट- 2. आवास तथा स्थानीय परिवहन की दरें छ.ग. शासन वि.वि. क्र. 424/एफ 2016-04-03194 वित्त/नि./चार दिनांक 28 अक्टूबर 2016 द्वारा संशोधित की गई है। 'X', 'Y' तथा 'Z' श्रेणी के शहरों के लिए अब समान दर कर दी गई है।

नोट- 3. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2(13)/2008-E-II(B) दिनांक 29.8.2008 के साथ संलग्न परिशिष्ट जो इस पुस्तक के पेज 376 पर है अनुसार किया गया है।

राज्य के बाहर की यात्राओं के मामले में संशोधित निम्न दरें-

शासकीय सेवक की श्रेणी	आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	एक्स	वाय/जेड	एक्स	वाय/जेड
ए	9000	6000	1000	600
बी	6000	4000	800	500
सी	2400	2000	400	250
डी	1200	1000	300	200
ई	1000	800	150	100

राज्य के अन्दर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस इत्यादि में स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जाये।

होटल व्यय की उक्त सीमा सभी प्रकार के करों को शामिल करते हुए होगी। होटल में ठहरने पर होटल किराये की तथा स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज की किराये की रसीद यात्रा देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माइलेज की पात्रता केवल उस तिथि के लिए होगी, जिस तिथि में शासकीय सेवक द्वारा उक्त स्थान पर शासकीय कार्य संपादित किया गया हो, मुकाम की अवधि 6 घंटे से कम न हो तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया हो ।

यदि शासकीय सेवक अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करता है, अर्थात् यदि वह अपने परिचित/रिश्तेदार के यहाँ ठहरता है अथवा कोई अन्य व्यवस्था करता है तो ठहरने हेतु व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि वह किसी दिन स्थानीय यात्रा हेतु किराये का वाहन उपयोग करता है तथा आंशिक रूप से भी शासकीय वाहन का उपयोग नहीं करता है तो उपरोक्त पैरा के अनुसार वाहन किराये की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा ।

मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता की पात्रता संशोधित दैनिक भत्ता के अनुसार होगा तथा इस हेतु लागू अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

दिल्ली प्रवास के दौरान प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को हवाई अड्डा/रेल्वे स्टेशन से छत्तीसगढ़ भवन तथा छ.ग. सदन आने के लिए टैक्सी का इंतजाम भी वाहन सुविधा में शामिल होगा । इन अधिकारियों को यह विकल्प भी होगा कि वे शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करते हुए उपरोक्तानुसार माइलेज प्राप्त करें।

अगर शासकीय सेवक किसी महानगर में केवल ट्रांजिट के लिए रुकता है एवं उस यात्रा में अपने परिवहन का साधन वायुयान से सड़क या रेल या इसके विपरीत बदलता है तो हवाई अड्डा से बस/रेल्वे स्टेशन अथवा इसके विपरीत तक की यात्रा हेतु पूरक नियम 23 के अनुसार स्थानीय परिवहन पर वास्तविक रूप से किये गये व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी । यह पात्रता श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को दोनों स्थानों के मध्य टैक्सी किराये की सीमा तक तथा अन्य शासकीय सेवकों के मामले में आटो रिक्शा किराये की सीमा तक होगी। इस हेतु दावा पावती द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानीय यात्राओं के लिए शासकीय सेवक को यह विकल्प भी होगा कि वह या तो उपर्युक्त पूरक नियम 23 के अनुसार अथवा इस ज्ञापन के अनुसार माइलेज प्राप्त करे।

[छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/ 2011, दिनांक 1.3.2011 तथा दिनांक 1 मार्च, 2011 से लागू]

यात्रा का वास्तविक व्यय

कोई भी शासकीय कर्मचारी यात्रा का वास्तविक व्यय या उसका कोई भाग यात्रा भत्ते के रूप में नहीं प्राप्त कर सकता है। [पूरक नियम 34]

अपवाद- (1) जब 'ए' श्रेणी क नीचे की श्रेणी के किसी शासकीय कर्मचारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा विशेष साधन द्वारा यात्रा करने को कहा जाता है, जिसकी लागत उसे स्वीकृत दैनिक भत्ते या मील भत्ते के बदले में यात्रा का वास्तविक व्यय ले सकता है।

[पूरक नियम 38]

(2) सक्षम प्राधिकारी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा किया भी शासकीय सेवक की ऐसी यात्रा जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता साधारणतः देय नहीं है, के लिए किसी वाहन का किराये पर लेने की स्थिति में वास्तविक व्यय ले सकता है। [पूरक नि. 62]

(3) मुख्यालय से 8 किलोमीटर की सीमा में अपने कर्तव्य पालन में शासकीय कर्मचारी रेल या अन्य लोक वाहन द्वारा की गई यात्राओं में नौकाघाट व अन्य पथकर एवं किराये में व्यय की गई वास्तविक धनराशि वसूल कर सकता है। [पूरक नियम 63]

5. यात्रा एवं विराम की अवधि में मिलन वाले भत्ते

यात्रा एवं विराम की अवधि में किराये (रेल, बस) के अलावा निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं। आठ किमी से कम की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं है-

1. मुख्यालय भत्ता- मुख्यालय भत्ता पूरक नियम 25 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार प्राप्त होता है। अर्थात् मुक्यालय से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट तक जाने (पर आधा) एवं वहाँ से वापस मुख्यालय आने (पर आधा) में हुए रिक्शा आटो, कुली आदि पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इसकी दर मुख्यालय के अनुसार होती है अर्थात् साधारण या विशेष दर। यदि शासकीय वाहन का उपयोग किया गया है तो 1/4 की दर से।

2. दैनिक भत्ता- दैनिक भत्ता पूरक नियम 30 में बताए गये समय के अनुसार गणना कर दिया जाता है। अर्थात् 6 घण्टे से कम विराम के लिए कुछ नहीं, 6 से 12 घण्टे के लिए आधार तथा 12 से 24 घण्टे के विराम के लिए एक दैनिक भत्ता।

विषय- शासकीय सेवकों द्वारा पात्रता न होने पर भी हवाई यात्रा किये जाने के संबंध में।

ज्ञापन दिनांक 1.3.2011 में विभागों से यह सुनिश्चित करने हेतु भी कहा गया था कि यात्रा सक्षम स्वीकृति उपरान्त ही की जाए। राज्य शासन के ध्यान में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा हवाई यात्रा संबंधी उपरोक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है एवं अपात्र अधिकारियों एवं कई बार अत्यंत कनिष्ठ अधिकारियों को भी दिल्ली एवं देश के अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा हेतु अनुमति दी जाकर, वित्त विभाग से कार्योत्तर स्वीकृति चाही जाती है। इन प्रकरणों के विवेचना से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश मामलों में आरक्षण उपलब्ध न होने, बैठक इत्यादि कारण दर्शाते हुए प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में ऐसी स्वीकृति दी जा रही है, जो उचित नहीं है। राज्य शासन चाहता है कि विभाग मितव्ययिता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रकरणओं को हतोत्साहित करें तथा अत्यावश्यक परिस्थितियों में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें-

(i) भारत सरकार द्वारा दिल्ली अथवा देश के अन्दर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, उसी स्तर के अधिकारी को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

(ii)ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन पात्रता से कम (किन्तु 6600 से कम नहीं) हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो, को प्रशासकीय विभाग की लिखित पूर्वानुमति से ही इकोनामी क्लास से हवाई यात्रा की अनुमति दी जाये तथा वापसी यात्रा यथासंभव पात्रता अनुसार ही की जाये। ऐसी स्वीकृति के पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसी अनुमति केवल अपरिहार्यता के कारण शासकीय हित में दी गई है तथा स्वीकृति आदेश में भी ऐसे औचित्य का उल्लेख करें।

(iii) ऐसे प्रकरण जिनमें प्रशासकीय विभाग की पूर्वानुमति प्राप्थ करना संभव नहीं हुआ है तथा कंडिका (i) एवं (ii) का पालन किया गया है, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् यात्रा की अपरिहार्यता का कारण दर्शाते हुए यात्रा से संबंधित बैठक इत्यादि का सूचना-पत्र, यात्रा टिकट की छायाप्रति तथा सुस्पष्ट संक्षेपिका के साथ यात्रा तिथि के एक माह के भीतर कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये। उपरोक्त जानकारी के अभाव में वित्त विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार नहीं जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उक्त कंडिकाओं का पालन नहीं किया गया है, उन पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) ये निर्देश दिनांक 01.10.2011 या इसके पश्चात् प्रारम्भ की गई यात्राओं पर लागू होंगे।

(3) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी यात्राओं हेतु किए गए व्यय विभाग के चालू वर्ष के बजट प्रावधानों के अन्तर्गत हो।

(4) यह ज्ञापन पूरक निर्देश के रूप में है, अतः इसे वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों का शिथिलीकरण नहीं माना जाएगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 337/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 13.10.2011]

हवाई यात्रा की अनुमति देने के अधिकार

हवाई यात्रा की अनुमति देने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। इसके अतिरिक्त अपहिरार्य परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 से कम न हो, को भी प्रशासकीय विभाग की पूर्वानुमति से हवी यात्रा की पात्रता है। शेष प्रकरणों में वित्त विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है।

उक्त प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड वेतन 6600 प्राप्त करने वाले अधिकारियों की हवाई यात्रा की अनुमति प्रशासकीय विभाग द्वारा ही दी जावेगी। विभाग मितव्ययिता के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करें-

(क) भारत सरकार द्वारा दिल्ली अथवा देश के अन्दर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, उसी स्तर के अधिकारी को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जावे।

(ख) ऐसे अधिकारी, जिनका ग्रेड वेतन पात्रता से कम (किन्तु 6600 से कम नहीं) हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो, को इकोनामी क्लास से हवाई यात्रा की अनुमति दी जावे।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 66/सम./ब-4/चार, दिनांक 11.4.2014]

न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

(1) रुपये 70290-1540-76450 वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश (सुपर वेतनमान) देश के अन्दर Executive class से।

(2) रुपये 43690-1080-49090-1230-56470 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करे वाले देश के अन्दर इकोनॉमी क्लास से।

(3) रुपये 33090-920-40450-1080-45850 या इससे अधिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकोनॉमी क्लास से।

ये पात्रता दिनांक 1 मार्च, 2011 या इसके पश्चात् की जाने वाली यात्रा के लिए लागू।
[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 277/सी-1000443/वित्त/नियम/चार, दिनांक 30.8.2011]

(स) बस यात्रा-

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-

(अ) श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी सी के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।

(ब) श्रेणी डी के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

(स) श्रेणी ई के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।

यात्रा भत्ता की गणना हेतु नगरों का वर्गीकरण

राज्य	X श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नगर	Y श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नगर
आंध्रप्रदेश	हैदराबाद (UA)	विजयवाड़ा (UA), वारंगल (UA), विशाखापट्टनम (UA), गुंटूर (UA)
असम		गुवाहाटी (UA)
बिहार		पटना (UA)
चंडीगढ़		चंडीगढ़
छत्तीसगढ़		दुर्ग-भिलाई (UA), रायपुर (UA)
दिल्ली	दिल्ली (UA)	-
गुजरात		अहमदाबाद (UA), राजकोट (UA), जामनगर (UA), भावनगर (UA), बड़ौदा (UA), सूरत (UA)
हरियाणा		फरीदाबाद
जम्मू एवं कश्मीर		श्रीनगर (UA), जम्मू (UA)
झारखंड		जमशेदपुर (UA), धनबाद (UA), रांची (UA)
कर्नाटक	बैंगलूर (UA)	बेलगांव (UA), हबली-धारवाड़ (UA), मंगलौर (UA), मैसूर (UA)
केरल		कोचीकोड (UA), कोच्चि (UA), तिरुअनन्तपुरम (UA)
मध्यप्रदेश		ग्वालियर (UA), इन्दौर (UA), भोपाल (UA), जबलपुर (UA)
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अमरावती, नागपुर (UA), औरंगाबाद (UA), नासिक (UA), भिवंडी (UA), पुणे (UA), सोलापुर, कोलापुर (UA)
उड़ीसा		कटक (UA), भुवनेश्वर (UA)
पंजाब		अमृतसर (UA), जालंधर (UA), लुधियाना (UA)
पांडिचेरी		पांडिचेरी (UA)
राजस्थान		बीकानेर, जयपुर, जोधपुर (UA), कोटा (UA)
तमिलनाडु	चेन्नई (UA)	सलेम (UA), तिरूपुर (UA), कोयम्बटूर (UA), तिरुचिरापल्ली (UA), मदुरई (UA)
उत्तराखंड		देहरादून (UA)
उत्तरप्रदेश		मुरादाबाद, मेरठ (UA), गाजियाबाद,

पश्चिम बंगाल	कोलकाता (UA)	अलीगढ़, आगरा (UA), बरेली (UA), लखनऊ (UA), कानपुर (UA), इलाहाबाद (UA), गोरखपुर, वाराणसी (UA) आसनसोल (UA)

टीप- ऐसे स्थआन जो 'X' तथा 'Y' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं वे 'Z' श्रेणी में शामिल माने जाएंगे।

आरक्षित रेल/हवाई यात्रा टिकिट निरसन व्यय की प्रतिपूर्ति

शासकीय कर्मचारी जब दौरे पर या स्थआनान्तर पर शासकीय हित में या जनहित में अपनी यात्रा स्थगित कर या शासकीय हित/जनहित के अलावा स्वयं की/आश्रित सदस्य की बीमारी अथवा अचानक ऐसी परिस्थिति के फलस्वरूप जो उसके नियंत्रण के बाहर की हो, यात्रा स्थगित करे और यदि उसने पूर्व से आरक्षण करवा रखा है, तो आरक्षण निरस्त कराने पर जो राशि रेलवे/हवाई यात्रा की काटी जायेगी, उसकी प्रतिपूर्ति शासन करेगा।

[वित्त विभाग क्रमांक 555/932/57/नि-2/चार, दिनांक 12.10.87 तथा क्रमांक D-44/1395/92/नि-1/चार, दिनांक 26.3.93]

निरसन व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार

(i) वायुयान टिकिट	नियंत्रण अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ
(ii) रेल टिकिट	नियंत्रण अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ

[वित्तीय अधिकार पुस्तक पुस्तक भाग 1, खण्ड 1, स.क्र. 17]

यात्रा पर होने वाला वास्तविक व्यय

सामान्य सिद्धांत के आधार पर दौरे पर की जाने वाली यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता प्राप्त किया जाता है- किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा दौरे पर प्राप्त किये गये यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता होता है, यदि इन दोनों में जिसकी भी उसे पात्रता हो। फिर भी कतिपय परिस्थितियों में स्थायी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के बदले में माईलेज अलाउन्स अथवा यात्रा का पूर्ण या आंशिक वास्तविक व्यय प्राप्त किया जा सकता है। कुछ अन्य परिस्थितियों में दैनिक भत्ते के अतिरिक्त या ऐसी यात्राओं हेतु जिनके लिए दैनिक भत्ता ग्राह्य नहीं है। वास्तविक व्यय प्राप्त किया जा सकता है।

[पू.नि. 45]

स्पेशल हाल्ट अलाउन्स- पूरक नियम 30 के अन्तर्गत यदि कोई हाल्ट अलाउन्स ग्राह्य है, तो उसके अतिरिक्त शासकीय कर्मचारी को हाल्ट वाले स्थान पर पहुंचने के दिनांक तथा वहाँ से प्रस्थान करने वाले दिन हेतु आधा दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा; किन्तु यह भत्ता हाल्ट वाले उस स्थान पर पहुँचने के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जहाँ से शासकीय कर्मचारी उसी दिन प्रस्थान करता है जिस दिन वह वहाँ पहुँचा था। यह भत्ता दैनिक भत्ते की साधारण दर अथवा पूरक नियम 32 (क) या 32 (ख) में उल्लेखित विशेष दर से, जैसा भी प्रकरण हो, भुगतान किया जायेगा जो पहुंचने तथा वापसी के स्थान पर निर्भर करता है।

(पूरक नियम 35-ए, वित्त विभाग के क्रमांक 283/2801/चार/नि-1-76, दिनांक 17-3-73 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।)

शासन स्पष्टीकरण- जब मुख्यालय से प्रस्थान व वापसी एक ही कैलेन्डर दिन में हो 1/2 स्पेशल हाल्ट की ग्राह्यता नहीं होगी। [पू.नि. 55-ए]

मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अन्तर्गत की जाने वाली यात्रा तथा हाल्ट स्वीकार्य हेतु दैनिक भत्ता

(अ) वाहन भाड़ा- एक सक्षम प्राधिकारी विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा किसी शासकीय कर्मचारी या शासकीय कर्मचारियों के वर्ग को यात्रा हेतु किराये पर लिये जाने वाले उस वाहन का वास्तविक व्यय प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है जिसके लिए इन नियमों के अन्तर्गत कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

टिप्पणी- जब इस नियम के अन्तर्गत भाड़ा स्वीकृत किया जाता है तो नियम 51 के अन्तर्गत मिलने वाला दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ब) नौका प्रभार, पथ कर तथा रेल भाड़ा- एक शासकीय कर्मचारी को ड्यूटी पर अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अन्दर यात्रा करने पर वह वास्तविक राशि वसूल करने की पात्रता होगी जो उसे नौका भार, अन्य पथ कर तथा रेल अथवा अन्य लोक वाहन द्वारा यात्रा के भाड़े के भुगतान में खर्च करना पड़ता है। [पू.नि. 63]

शासन आदेश

विषय- हेडक्वार्टर पर की गई यात्रा के लिये दैनिक भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य शासन के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण लाये गये हैं जहाँ शासकीय कर्मचारियों को अपने हेडक्वार्टर पर भ्रमण के लिये इस आधार पर यात्रा भत्ता दिया गया है मन्तव्य स्थान उनके कार्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक है यद्यपि दोनों स्थान एक ही मुख्यालय पर है।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि म. प्र. यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 49 के अनुसार दैनिक भत्ता पात्रता तभी होती है जब दौरे पर मुख्यालय छोड़ा जाये, अन्यथा स्थिति में नहीं। जहाँ एक ही मुख्यालय पर कार्यालयीन कार्यवश कर्मचारियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जाना होता है ऐसे मामले स्थानीय यात्रा (लोकल जर्नी) के होते हैं तथा उन मामलों में म. प्र. यात्रा नियमों के पूरक नियम 62 के अन्तर्गत यात्रा भत्ते की पात्रता न होकर म. प्र. वित्त संहिता भाग 2 के परिशिष्ट 6 के सरल क्रमांक 14 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। अतः इस प्रकार की स्थानीय यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत टी. ए./डी. ए. देना नियों के प्रतिकूल है।

(वित्त विभाग क्रमांक 1475/3174/82/नि-1, दिनांक 12-11-1982)

स्थानान्तर पर यात्रा

(1) ग्राह्यता की सामान्य शर्तें- जब तक किसी शासकीय कर्मचारी का लोक हित में स्थानान्तर नहीं किया जाता है तथा यात्रा में व्यतीत अवधि हेतु वेतन की पात्रता नहीं होती है, तब तक इस धारा के अन्तर्गत ड्यूटी पर रहते हुए स्थानान्तर होने पर उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान का यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं। स्वयं के अनुरोध पर या उपचार जब तक कि स्थानान्तर करने वाला प्राधिकारी विशेष कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए अन्यथा निर्देशित न करें। [पू.नि. 79]

चयन किये जाने पर नियुक्त शासकीय कर्मचारी को यात्रा भत्ता- मध्यप्रदेश शासन के अधीन प्रतियोगी परीक्षा के फलस्वरूप नियुक्त शासकीय कर्मचारी अथवा किसी विज्ञापित पद, जो शासकीय कर्मचारी तथा दूसरों के लिए खुला हो, हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से चयन किये जाने पर नियुक्त शासकीय कर्मचारी को-

(क) यदि वह पहले से ही राज्य शासन (इसमें केन्द्र तथा अन्य राज्य शासन सम्मिलित) के अधीन स्थायी पद धारण करता है तो पदग्रहण करने हेतु उसे यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) यदि वह पहले से ही राज्य शासन (इसमें केन्द्र तथा अन्य राज्य शासन सम्मिलित है) में अस्थायी हैसियत से नियुक्त है तो पदग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

[पू.नि. 79क]

पू. नि. 81. शासकीय कर्मचारियों को सुविधाएँ- जब किसी प्रकरण में स्पष्ट रूप से, इस नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, स्थानान्तर पर यात्रा हेतु किसी शासकीय कर्मचारी को पूरक नियम 81-ए से 81-डी में उल्लिखित सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

पू. नि. 81-क. रेल द्वारा यात्रा- स्थानान्तर पर यात्रा हेतु शासकीय कर्मचारियों को निम्नानुसार पात्रता होगी-

(क) स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिये उस श्रेणी का वास्तविक किराया जिसकी उसे दौरे पर पात्रता है, किन्तु शासकीय कर्मचारी को हवाई यात्रा या रेल के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की पात्रता नहीं होगी।

(ख) पूरक नियम 52(अ) में उल्लिखित साधारण दर से शासकीय कर्मचारी तथा उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को व्यय की पूर्ति हेतु एक-एक दैनिक भत्ता (12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए आधा दैनिक भत्ता) प्राप्त होगा।

(ग) कार, मोटर साइकिल तथा अन्य वाहनों के परिवहन के लिए वास्तविक व्यय प्राप्त होगा।

स्पष्टीकरण- नियंत्रण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि कार या मोटर साइकिल का रखा जाना लोकहित में हैं।

टिप्पणी 1- रेल से जुड़े हुये स्थानों के बीच यात्रियों की सुविधा हेतु चलने वाली मोटर से यदि कोई शासकीय कर्मचारी या उसका परिवार उसके यात्रा करता है तो उसे निम्नानुसार यात्रा भत्ता इस शर्त के साथ प्राप्त किया करने की अनुमति दी जायेगी कि कुल व्यय रेल द्वारा यात्रा करने पर स्वीकार्य यात्रा भत्ता, अर्थात् रेल भाड़े तथा रेलवे स्टेशन आने-जाने के रोड़ माइलेज से अधिक न हो-

(क) स्वयं के लिये- रेल द्वारा उसके ग्रेड की पात्रतानुसार किराया+वास्तव में उपयोग में लाये गये मार्ग का दुगना किराया।

(ख) परिवार के लिए- वास्तव में उपयोग में लाये गये मार्ग से किराया।

टिप्पणी 2- स्थानान्तरण पर निजी कार से यात्रा करने पर शासकीय सेवक पूरक नियम 32 (अ) में जैसा विहित है दैनिक भत्ते का हकदार होगा तथा स्वयं के लिए तथा उसके परिवार के प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिए जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, रेल का किराया जिसका वह पूरक नियम 81-ए के अधीन हकदार होता यदि वह स्थानान्तरण पर रेल से यात्रा करता। इसके अलावा *[रु. 3.00] प्रति किलोमीटर की दर से कार के परिवहन हेतु संदत्त किया जायेगा, बशर्ते कि

नियंत्रण अधिकारी प्रमाणित करे कि शासकीय सेवक द्वारा कार का रख-रखाव लोकहित में है। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है तो *[रु. 3.00] प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता संदत्त नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण पर निजी सामान का परिवहन- (1) विभिन्न वेतन रेंज के अधिकारियों हेतु निम्नानुसार अधिकतम सीमा के अध्यधीन, जो भी कम हो, घरेलू सामान के परिवहन का वास्तविक व्यय देय होगा, बशर्ते कि घरेलू सामान का परिवहन स्थानान्तरण के दिनांक से एक माह पूर्व अथवा उस दिनांक से एक वर्ष के अन्दर किया गया हो-

*श्रेणी	सड़क द्वारा (रुपये प्रति किमी.)	रेल द्वारा
'ए'	18	6000 किग्रा.
'बी'	18	6000 किग्रा.
'सी'	15	5000 किग्रा.
'डी'	9	3000 किग्रा.
'ई'	5	1500 किग्रा.

(2) अन्य स्थान पर स्थानान्तरित शासकीय सेवक जिनका घरेलू सामान परिवहन किया गया है, निम्न दरों पर बांधने/खोलने/चढ़ाने/उतरवाने तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों की पूर्ति हेतु एकमुश्त अनुदान के पात्र होंगे।

*शासकीय सेवक की श्रेणी	स्थानान्तरण अनुदान की दर (रुपये)
'ए'	8000
'बी'	6000
'सी'	5000
'डी'	4000
'ई'	2000

(3) शासकीय सेवक जो 6 माह की अवधि के अन्दर एक से अधिक स्थान पर स्थानान्तरित हुआ है, मूल मुख्यालय से नये मुख्यालय पर अपना घरेलू सामान ले जा सकता है। ऐसे मामलों में केवल एकमुश्त स्थानान्तर अनुदान दिया जाएगा। [पू.नि. 81-ग]

[वि. एवं योजना विभाग क्र. 45/सी-18029/वि.नि./2011 दिनांक 1.3.2011]

राज्य शासन के निर्देश

विषय- स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के दावे किस तारीख को देय हुए माने जाएँ।

संदर्भ- वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 530/3181/चार-नि-2, दिनांक 1 अप्रैल, 1968 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 2313-आर-322-चार-नि-5, दिनांक 3-10-69।

म. प्र. वित्तीय संहिता, भाग 1, नियम 80 (2) के अनुसार जिस यात्रा के संदर्भ में भत्ते का दावा पेश किया गया है उस यात्रा के पूर्ण होने के परवर्ती दिन (दूसरे दिन) को उसे देय होना माना

जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि किसी मामले में (1) अधिकारी अथवा परिवार के सदस्य यात्रा पहले पूरी कर लेते हैं और उनका सामान बाद में किसी तारीख को आता है तो उस अधिकारी के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा किस तारीख को देय हुआ माना जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गाय है कि ऐसे मामलों में किसी अधिकारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं से सम्बन्धित यात्रा भत्तों के दावों को प्रत्येक अलग-अलग यात्रा पूरी होने की तारीख के दूसरे दिन देय हुआ माना जाये। इसी प्रकार निजी सामान लाने सम्बन्धी यात्रा का दावा उस तारीख के दूसरे दिन देय हुआ माना जाये जिस तारीख को सम्बन्धित सामान उक्त अधिकारी को प्राप्त हुआ है।

(म. प्र. शासन, वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक 1108/आर-498-4-नि-5/72, दिनांक 5-8-72)

अवकाश पर जाने या अवकाश से लौटते हेतु यात्रा भत्ता

सामान्य नियम- इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, किसी शासकीय कर्मचारी को अवकाश काल में अवकाश पर जाने या अवकाश से लौटने पर कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। [पू.नि. 96]

अपवाद- एक सक्षम प्राधिकारी किसी भी शासकीय कर्मचारी को विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए नियम 96 में निर्दिष्ट किसी प्रकार की यात्रा हेतु दौरे पर की जाने वाली यात्रा के समान यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। [पू.नि. 97]

कार्यग्रहण काल में यात्रा भत्ता- मूलभूत नियम 105 (डी) के अन्तर्गत कार्यग्रहण काल में की जाने वाली यात्रा हेतु शासकीय कर्मचारी को स्थानान्तर पर की जाने वाली यात्रा के समान यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। [पू.नि. 105]

नवीन पद ग्रहण करने हेतु नव नियुक्त शासकीय कर्मचारी को यात्रा भत्ता

ऐसे मामले में सामान्यतः यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है, किन्तु सक्षम प्राधिकारी विशष कारणों से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्थाई या अस्थाई पद पर नियुक्त किया गया हो, यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है।

[पूरक नियम 72 एवं 73 छततीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम]

विषय- अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के प्रतिनियुक्ति पर राज्य के बाहर स्थानांतरण हेतु यात्रा भत्ता

सन्दर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 504/एफ 2016-01-00998/वित्त/नियम/चार दिनांक 16.12.2016

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के प्रतिनियुक्ति पर राज्य के बाहर के स्तानांतरण के प्रकरणों में यात्रा भत्ता की पात्रता के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2. उक्त ज्ञापन के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की पदस्थापना यदि राज्य के बाहर छत्तीसगढ़ शासन के किसी कार्यालय/संस्था में होती है तो उक्त अधिकारी को भी ऐसी पदस्थापना पर कार्यग्रहण हेतु की गई यात्रा के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के अधिकारियों हेतु समय-समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

3. यह आदेश दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 के पश्चात् की गई यात्रा (निजी समान के परिवहन सहित) हेतु प्रभावशील होगी। ज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

[छ.ग. वि.वि. क्र. 396 एफ-2018-01-01507/वि./नि./चार दिनांक 6 अगस्त 2018]

पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक को यात्रा भत्ता

पुनर्नियुक्त स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी भारत के अन्दर यात्रा करने पर पद ग्रहण करने हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। अनुमति दी जाने पर दौरे पर की जाने वाली यात्रा क समान माना जाएगा किन्तु विराम के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।[पूरक नियम 74, 77 एवं 78 छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम]

सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता

पात्रता- ऐसे शासकीय कर्मचारी जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय अपने गृह नगर से दूर अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, अपने अन्तिम कर्त्तव्य स्थान से अपने गृह नगर तक जाने के लिए स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए, यात्रा भत्ता पान के पा. हैं।

जहाँ गृह नगर [1][मध्यप्रदेश] राज्य के बाहर है- सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी जिनके गृह नगर राज्य के ाहर स्थित है, [1][मध्यप्रदेश] राज्य के भीतर अन्तिम रेलवे स्टेशन या बस स्टैण्ड तक की यात्रा क लिए पात्र होंगे।

यह सुविधा केवल अधिवार्षिकी, स्वैच्छिक, अशक्त थता क्षतिपूरक पेंशन पर सेवानिवृति होने पर ही देय है। यदि वह दण्ड स्वरूप सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है तो, उसको इस प्रकार की सुविधा पाने की पात्रता नहीं होगी-

(अ) स्वयं तथा परिवार के लिए	पात्रतानुसार रेल या बस का वास्तविक किराया (दौरे पर की गई यात्रा क समान)
(ब) घरेलू सामान के परिवहन के लिए	(1) यदि सामान रेल द्वारा परिवहन किया जाता है तो परिवहन का वास्तविक किराया या मालगाड़ी द्वारा पात्रतानुसार अधिकतम सीमा तक परिवहन पर जो व्यय हो, इन दोनों में से जो भी कम हो। (2) यदि सामान सड़क मार्ग से ले जाया जाता है तो परिवहन का वास्तविक व्यय पत्रातानुसार अधिकतम सीमा के अध्यधीन स्वीकृत दर पर। (स्थानान्तरण के समान)
(स) वाहन परिवहन	वाहन परिवहन का वास्तविक व्यय, यदि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को अन्तिम पद पर रहते हुए वहान रखना सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया जाये।

1. अब छत्तीसगढ़ पढ़ा जाए ।

टीप- (1) इस प्रकार की यात्रा के लिए दैनिक भत्ता तथा एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की पात्रता नहीं है।

(2) वर्ग "ए" के सेवानिवृत्त अधिकारी अपनी कार से यात्रा कर सकते हैं तथा इस प्रकार की यात्रा के लिए स्थानान्तरण पर यात्रा के समान यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

समयावधि- इस सुविधा का लाभ सेवा निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर लिया जा सकता है।

किनको पात्रता नहीं-

(1) ठेके पर रखे गये और अंशकालीन कर्मचारी।

(2) कार्यभारित तथा नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

(3) ऐसे अधिकारी जिनको इस प्रकार की सुविधा अखिल भारतीय सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त है।

प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया-

इस प्रकार का यात्रा भत्ता स्थानान्तरण यात्रा बिल की भाँति आहरित किया जायेगा। इसके लिए यात्रा भत्ता अग्रिम देय नहीं है।

[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक 1644/4199/82/नि-1/चार, दिनांक 17.12.82]

राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि जिन कर्मचारियों का गृह नगर पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है, उन्हें यह सुविधा कहाँ तक के लिए मान्य होगी। इस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को यह सुविदा उनके अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य स्थित गृह नगर तक दी जाए, बशर्ते कि उनके द्वारा गृह नगर की घोषणा दिनांक 1.11.2000 के पूर्व की गई हो। इसकी पश्चात्वर्ती तिथि में गृह नगर की घोषणा करने या गृह नगर में परिवर्तन करने की स्थिति में इस सुविधा की पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक ही होगी।

जिनका गृह नगर मध्यप्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित है, उन्हें सुविधा की पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक ही होगी।

ये निर्देश 1.11.2000 के बाद की गई यात्राओं पर लागू हैं तथा आदेश दिनांक से पाँच वर्ष तक प्रभावशील रहेगा।

[वित्त विभाग क्रमांक 503/511/2002/वि/नि/चार, दिनांक 28.9.2002]

वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञाप क्रमांक 236/एफ-1000877/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 25 जून, 2012 के द्वारा उक्त पाँच वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें सेवानिवृत्ति उपरांत गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान कर दिया गया है, पुनः नहीं खोले जायेंगे।

संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को संविदा समाप्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते की सुविधा

अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को "संविदा नियम, 2004" के उपबंधों के अध्यधीन 65 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति पर रखे जाने पर प्रावधान है। राज्य शासन ने निम्न शर्तों के अनुसार उन्हें संविदा समाप्ति पर गृह नगर तक जाने के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त

करने की सुविधा प्रदान की है:-

(1) संविदा नियुक्ति रिक्त पद पर की गई हो तथा शासकीय सेवक ने सेवानिवृत्ति के 6 माह के भीतर अपनी उपस्थिति दी हो।

(2) जहाँ से शासकीय सेवक रिटायर हुआ था वहाँ से उसने कोई यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं किया है।

(3) यात्रा भत्ते का दावा उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ से उसे सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा प्राप्त करने की पात्रता थी।

(4) भत्ते की पात्रता सेवानिवृत्ति क समय धारित पद तथा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के अनुसार होगी।

(5) यात्रा भत्ते की पात्रता संविदा सेवा की समाप्ति के तीन माह के भीतर की गई यात्रा हेतु ही होगी।

(6) शासकीय सेवक को संविदा पर नियुक्ति एवं संविदा सेवा समाप्ति की लिखित सूचना ऐसी घटना के भीतर सेवानिवृत्ति के समय जिस कार्यालय/संगठन में था उस कार्यालय को देना होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 230/एफ. 1001263 ववित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 तथा आदेश दिनांक से लागू]

अवकाश यात्रा सुविधा (L.T.C.)

यह योजना मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक 1324-सी-आर/2654/4/चार, दिनांक 17.11.1972 द्वारा प्रारम्भ की गई थी।

फिर मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल. 17/6/2001/ब.7/चार, दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को यह सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2002 तक स्थगित रखी गई जो अभी भी स्थगित है।

किन्तु छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश में प्रचलित नियमों के अनुसार यह सुविधा बहाल रखी है। ऐसे निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 92/2000 वसी/वित्त/चार, दिनांक 28.11.2000 द्वारा जारी किये गये हैं।

मूल योजना के प्रावधान निम्नानुसार हैं-

(i) पात्रता-

(1) उन सभी शासकीय कर्मचारियों को जिन्हें स्वयं या उनके परिवार के साथ (जैसा भी प्रकरण हो) की गई यात्रा की तिथि के दिन लगातार सेवा का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।

(2) कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थाई सदस्यों को भी नियमित शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ पाने की पात्रता दिनांक 30.11.83 से हो गई है।

टीप- यह सुविधा उन्हीं शासकीय कर्मचारियों को स्वीकार होगी जिनके गृह नगर उनके मुक्यालय से 80 कि.मी. से अधिक दूरी पर है। अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम दूरी का प्रतिबन्ध निम्नानुसार होगा-

(क) अपने गृह जिले से बाहर के जिले में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में दूरी का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) अपने गृह जिले में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में दूरी का प्रतिबन्ध 20 कि.मी. होगा। [वित्त विभाग क्रमांक 11-3-83/नि-2, दिनांक 11.1.84]

(ii) गृह नगर- ''गृह नगर'' से तात्पर्य सम्बन्धित शासकीय कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज ''गृह'' अथवा ''गाँव'' से है।

[विभाग प्रमुख की मंजूरी से सेवा में एक बार गृह नगर बदला जा सकता है।]

(iii) अवधि- यह सुविधा दो वर्ष की अवधि में एक बार स्वीकार्य है।

(iv) परिवार- से आशय पति या पत्नी, जैसा भी प्रकरण हो तथा शासकीय कर्मचारी के साथ रहने वाले तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित वैध और सौतेल बच्चों से है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञाप क्र. 235/एफ-2014-02/00470/वि./नि/चार, दिनांक 26 मई, 2014 के द्वारा आश्रितता क लि अधिकतम रु. 3050/- आय सीमा का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। इस सीमा तक उपरोक्त ज्ञाप की संशोधित माना जाए।

(v) कब स्वीकार्य- यह सुविधा उस स्थिति में स्वीकार्य है, जब शासकीय कर्मचारी नियमित अथवा आकस्मिक अवकाश पर हो, गृह नगर में ठहरने की अवधि का बन्धन नहीं है।

(vi) यात्रा की सीमा- यह सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्दर की यात्राओं के लिए सीमित है और केवल उन्हीं स्थानों के लिए है जो सड़क या रेल से जुड़े हुए हैं। जिनका निवास-स्थान राज्य के बाहर हैं उन्हें इस सुविधा का लाभ राज्य के अन्दर अन्तिम छोर पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन अथवा राज्य की सीमा तक प्राप्त होगा। पुराने छत्तीसगढ़ से आवंटित कर्मचारियों के लिए यदि उनका गृह नगर पुराने छत्तीसगढ़ के किसी जिले अर्थात् अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भण्डारा, चाँदा, नागपुर, वर्धा तथा यवतमाल में है तो उसे उस जिले में स्थित उसके गृह नगर तक यह सुविधा पाने की पात्रता है।

(vii) किराये की प्रतिपूर्ति- जिन कर्मचारियों के गृह नगर मुख्यालय से 80 कि.मी. से आगे हैं, उनको प्रत्येक बार आने तथा जाने पर प्रारम्भिक 80 कि.मी. का किराया व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा शेष दूरी हेतु शासन वास्तविक किराये की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा।

टीप- कर्मचारी को अपनी यात्रा वास्तविक रूप में किये जाने के प्रमाण स्वरूप रेलवे टिकट, बस टिकट की क्रम संख्या तथा नगदी रसीदें आदि को प्रस्तुत करना चाहिये।

(viii) अग्रिम- अग्रिम की राशि गृह नगर तक जो तथा वापसी दोनों ओर की यात्रा की अनुमानित राशि के 4/5 भाग तक सीमित होगा।

(ix) अग्रिम का समायोजन- अग्रिम के समायोजन हेतु अवकाश यात्रा सुविधा का दावा एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।

(x) सीमा- शासन ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनका गृह नगर राज्य के बाहर स्थित है, उन्हें राज्य के भीतर अंतिम रेलवे स्टेशन अथवा राज्य की सीमा तक के लिए ही अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता होगी।

[वित्त विभाग क्र. 193/201/वित्त/चार/नि. दिनांक 8 अप्रैल, 2002]

उपरोक्त योजना के संबंध में शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है-

(1) राज्य शासन के कर्मचारियों को यह सुविधा 4 वर्ष के खंड में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर जाने के लिए, गृहनगर जाने की सुविधा के बदले में दी जाए। अर्थात् यदि वर्ष 2006-2009 के खण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी

स्थान पर जाने के लिए वर्ष 2006 या 2007 में यह सुविधा प्राप्त की जाती है तो वर्ष 2006-2007 के 2 वर्ष के खण्ड में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं होगी।

(2) उक्त सुविधा हेतु प्रथम 2 वर्ष का खण्ड वर्ष 2006-2007 तथा चार वर्ष का खण्ड वर्ष 2006-2009 होगा।

(3) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु जाने एवं वापसी के समय 80 किलोमीटर तक के व्यय का वहन शासकीय सेवक द्वारा स्वयं करने संबंधी शर्त को समाप्त मान लिया गया है।

(4) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल एवं सड़क मार्ग से यात्रा की श्रेणी की पात्रता वह होगी जो स्थानांतर पर यात्रा हेतु है।

(5) संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

[वित्त एवं योजन विभाग क्रमांक 88/सी-11389/वि/नि/चार/2007, दिनांक 19.4.2007]

यात्रा भत्ते का दावा (क्लेम) कब तक या कब भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है-

यात्रा भत्ते का दावा (क्लेम) यात्रा पूरी होने के अगले दिवस प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दावा एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह राजसात हुआ मान लिया जायेगा।

[यात्रा भत्ता नियम 140-ए]

एक वर्ष की गणना मुख्यालय पर वापिस लौटने के दिनांक से की जाएगी।

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावा के मामले में एक वर्ष की गणना यात्रा पूर्ण होने/घरेलू सामान रवाना करने के दिनांक से की जायेगी।

[प्राधिकार- छ.ग./छ.ग. कोषालय नियम 115 व 117 तथा वित्त संहिता नियम 90]

देय होने की तिथि से एक वर्ष के बाद यात्रा भत्ता दावा/अवकाश यात्रा सुविधा का दावा कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति देने के अधिकार

विभाग प्रमुख । [प्राधिकार- सरल क्रमांक 26 तथा 27 छ.ग. वित्तीय शक्ति पुस्तिका, 2007 भाग-एक, खण्ड-एक]

अस्थायी रूप से सेवायुक्त शासकीय कर्मचारियों को रियायतें- शासकीय सेवा में अस्थायी रूप से सेवायुक्त उस व्यक्ति को जिसने अपना पद ग्रहण करने की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता प्राप्त किया था, उसे उसकी सेवा समाप्ति पर किसी भी स्थान की यात्रा की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते की ऐसा भत्ता, जहाँ से उसे सेवामुक्त, किया गया था उस स्थान के लिए संगणित होने वाले यात्रा भत्ते से अधिक न हो, सेवा समाप्ति के तीन माह के भीतर यात्रा भत्ते का दावा किया गया हो और यह कि वह अधिकारी, जिसके अधीन वह कार्यरत था, सन्तुष्ट हो कि वह यात्रा करने की इच्छुक है।

[पू.नि. 110]

पू. नि. 111. इस धारा के अन्तर्गत यात्रा भत्ते की दरें- पूरक नियम 110 के अन्तर्गत यात्रा भत्ते के गणना दौरे पर की गई यात्रा के समान की जायेगी। किन्तु इन यात्राओं में हाल्ट करने पर कोई यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

साक्ष्य देने विभागीय जाँच पर उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोप के उत्तर देने हेतु यात्रा

साक्ष्य हेतु बुलाए जाने पर- शासकीय कर्मचारी, जिन्हें साक्ष्य देने हेतु बुलाया जाता है पर निम्न प्रावधान लागू होंगे-

(क) किसी आपराधिक प्रकरण में, सैनिक अदालत के समक्ष किसी प्रकरण में उस दीवानी प्रकरण में शासन एक पक्ष हो अथवा भारतीय संघ के भीतर उचित रूप से संस्थापित प्राधिकारी द्वारा की गई विभागीय जाँच के समक्ष, अथवा

(ख) भारतीय राज्य या विदेशी राज्य के क्षेत्र के किसी न्यायालय के समक्ष बशर्तें कि जिन भारतीय तथ्यों के संबंध में उसे साक्ष्य देना है वे उसकी जानकारी में शासकीय कर्त्तव्यपालन के दौरान आये हो-

(एक) न्यायालय अथवा उसे बुलाने वाले अन्य प्राधिकारी द्वारा दिये गये उपस्थिति प्रमाण-पत्र को अपने देयक के साथ संलग्न करते हुए वह दौरे पर की गई यात्रा के समान यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है।

(दो) जब वह ऐसा भत्ता प्राप्त करता है तो उसे न्यायालय अथवा प्राधिकारी से अपने खर्च का कोई भी भुगतान स्वीकार नहीं करना चाहिए। साक्षी के यात्रा भत्ते तथा गुजारा भत्ते हेतु न्यायालय में जमा की जाने वाली फीस की शासकीय कोष में आँकलित करना चाहिए।

(तीन) जिस न्यायालय में वह साक्ष्य देता है तो यदि वह उसके मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर स्थिर है और इसीलिए उसे यात्रा हेतु कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होता है और यदि उसे स्थायी भत्ता भी प्राप्त नहीं होता है तो वह वास्तविक यात्रा व्यय का उतना भुगतान, जितना न्यायालय दे, स्वीकार करेगा।

टिप्पणी- अवकाश पर रहते हुए यदि किसी शासकीय कर्मचारी को साक्ष्य देने हेतु बुलाया जाता है तो जिस स्थान से उसे बुलाया गया है उस स्थान से आने एवं जाने के लिए इस नियम के अन्तर्गत उसे उस प्रकार यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिस प्रकार यदि वह ड्यूटी पर हो, तो होती है। निलम्बित अधिकारी के प्रकरण में यह सुविधा केवल राज्य शासन की विशेष स्वीकृति से ही दी जा सकती है। [पू.नि. 112]

नियम 112 में वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में साक्ष्य देने हेतु बुलाए जाने पर- नियम 112 में वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में साक्ष्य देने हेतु बुलाये गये शासकीय कर्मचारी को न्यायालय के नियमों के अनुसार स्वीकार्य भुगतान को छोड़कर, उसके शासकीय कर्मचारी होने के कारण, अन्य किसी भुगतान की उसे पात्रता नहीं होगी। यदि न्यायालय उसे यात्रा व्यय के भुगतान के अतिरिक्त निर्वाह भत्ता या क्षतिपूर्ति के रूप में किसी धनराशि का भुगतान करता है तो उसे अपनी अनुपस्थिति